



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1942 (श10)

(सं0 पटना 134) पटना, शुक्रवार, 26 फरवरी 2021

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
26 फरवरी 2021

I/E 09@ I h0ch0vkb0&80&08@2020&1755@x0vk0—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, भागलपुर, कोतवाली थाना कांड संख्या-808/2020, दिनांक-23.12.2020, धारा-409/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0, जो भागलपुर में सरकारी बैंक खातों से जालसाजी एवं षडयंत्रपूर्ण तरीके से सरकारी राशि के अवैध हस्तान्तरण से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के0 सेंथिल कुमार,
सरकार के सचिव।

**Home Department
(Police Branch)**

NOTIFICATION

The 26th February 2021

No. 9/C.B.I-80-08/2020-1755/ HP—In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate/supervise and inquire into the Bhagalpur Kotwali P.S. Case No-808/2020, Dated-23-12-2020, Section-409/420/467/468/471/120B I.P.C. which are relates to illegal transfer from Government Bank Accounts in Bhagalpur in fraudulent & conspiratorial manner.

**By order of the Governor of Bihar,
K. Senthil Kumar,
Secretary to Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 134-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>